# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com


**वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 26.01.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण,न्यायाधीश,ज्ञानशिखा टाइम्स,राष्ट्रीय सहारा " समाचार पत्र कटिंग का विवरण।**

## अमर उजाला –दि0 26.01.2025

### गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए बनाया जाएगा सोकपिट

**वाराणसी।** रामनगर आवासीय योजना के तहत बनाए गए 400 भवनों का पानी घुरहा नाला से होकर गंगा नदी में गिर रहा था। इस पर एनजीटी ने नाराजगी जताई थी और सोकपिट का निर्माण कराने के आदेश दिए थे। वीडीए की टीम बीएचयू आईआईटी की टीम के साथ मिलकर सोकपिट का निर्माण करा रही है। शनिवार को दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया।

सेप्टिक टैंक से सीवेज के डिस्पोजल के लिए सोपपिट बनाए जाने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। सहायक अभियंता देवेश राम गुप्ता और आईआईटी बीएचयू से प्रोफेसर केशव प्रसाद (हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट) एवं डॉ. क्षितिज कुमार यादव ने कहा कि यह योजना गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। ब्यूरो

## राष्ट्रीय सहारा–दि0 26.01.2025

### वीडीए ने अवैध निर्माण तोड़ा

**वाराणसी।** वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन एक की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध धवास्तीकरण की कार्रवाई की। सिकरौल वार्ड के मौजा- बड़ागांव दोयम के अंतर्गत राधेश्याम यादव ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। इस पर पूर्व में नोटिस जारी कर निर्माण को सील करने की कार्रवाई की गई थी और शमन दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शमन नहीं कराया गया, जिसके उपरांत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। उक्त के क्रम में अनाधिकृत निर्माण को प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया।

# वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com


दैनिक जागरण–दि0 26.01.2025

## रामनगर आवासीय योजना का सीवेज गंगा में जाने से रोकेगा सोक पिट

जागरण संवाददाता, वाराणसी : आवासीय योजना रामनगर के 400 भवनों का मलजल सीधे गंगा में जा रहा है। इसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने संज्ञान लिया और वाराणसी विकास प्राधिकरण को प्रतिवादी बनाते हुए वाद दाखिल किया। अब वीडीए जागा है और आवासीय योजना के मल-जल को शोधित करने के लिए सोक पिट तकनीक अपनाने का निर्णय लिया है।

उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने प्रस्तावित कार्य योजना के तहत सोक पिट बनाए जाने की तकनीकी जांच के लिए बीएचयू आइआइटी को चयनित किया। उसी योजना के तहत वीडीए और आइआइटी बीएचयू के विशेषज्ञों ने शनिवार को आवासीय योजना रामनगर में सोक पिट बनने वाले स्थान का निरीक्षण किया। आइआइटी की रिपोर्ट जल्द ही प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी।

## ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 26.01.2025

### जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरूद्ध किया ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-सिकरौल, मौजा -बड़ागाँव दोयम के अन्तर्गत राधेश्याम यादव द्वारा भवन स.-एस. 20/56 एवं आराजी स.4 पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जो उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की संबंधित धाराओं का उल्लंघन था। इस ... पूर्व में नोटिस जारी ...र निर्माण को सील करने की कार्रवाई की गई थी और शमन दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शमन नहीं कराया गया, जिसके उपरांत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। उक्त के क्रम में शनिवार को अनाधिकृत निर्माण को प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर अपर सचिव परमानन्द यादव, जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी उपस्थित रही। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

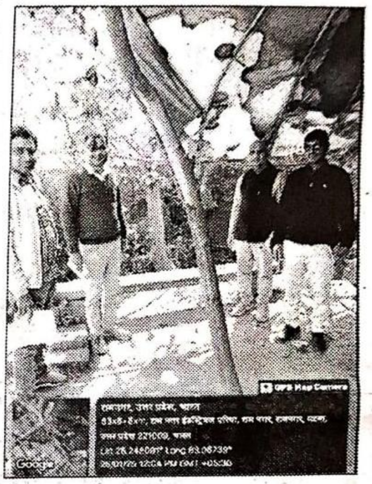

## न्यायाधीश–दि0 26.01.2025

### वाविप्रा जोन -1 की प्रवर्तन टीम ने की धवस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध धवास्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत वार्ड-सिकरौल, मौजा- बड़ागाँव दोयम के अन्तर्गत राधेश्याम यादव द्वारा भवन स0-एस0 20/56 एवं आराजी स0 4 पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की संबंधित धाराओं का उल्लंघन था। इस पर पूर्व में नोटिस जारी कर निर्माण को सील करने की कार्रवाई की गई थी और शमन दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शमन नही कराया गया, जिसके उपरांत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया। उक्त के क्रम मे आज दिनांक 25/01/2025 को अनाधिकृत निर्माण को प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। मौके पर अपर सचिव परमानन्द यादव, जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी उपस्थित रही। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।